

शर्तः—

1. आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना एवं आवश्यक स्टॉफ की तैनाती उपरवर्णित शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही की जायेगी।
2. सेंटर में आकर उपचार कराने वाले रोगियों का एक रजिस्टर केन्द्र पर रखा जायेगा जिसमें रोगी एवं दिये गये उपचार का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा। प्रत्येक माह आने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या एवं केन्द्र की प्रगति के संबंध में एक रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अथवा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी (जिनके अधीन केन्द्र संचालित हो) द्वारा मिशन निदेशक को प्रेषित करना होगा।
3. आवंटित बजट की सीमा से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. वित्तीय वर्ष के अन्त में उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारी अपने निदेशक को भेजेंगे जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित कर मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।
5. अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में आयुष सोसाइटी को तत्काल समर्पित की जायेगी।

संलग्नक—उक्तवत।

भवदीय
२५/७/१

(यतीन्द्र मोहन)
मिशन निदेशक।

पत्रांक: 139 /41/मि0नि0/2017-18 लखनऊ दिनांक: 10, जुलाई, 2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी जनपद-लखनऊ, मैनपुरी, कन्नौज, बांदा, फतेहपुर, आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, सीतापुर, मऊ, श्रावस्ती, बस्ती, झाँसी, सिद्धार्थनगर, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, कासगंज, मथुरा, अलीगढ़, बहराइच, बिजनौर, गोरखपुर, हापुड़, मिर्जापुर, इलाहाबाद, जौनपुर, उन्नाव, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं आगरा।
2. निजी सचिव, सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, आयुष अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0,।
5. कार्यक्रम प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
6. वित्त प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
7. परामर्शदाता 1/2, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।

२५/७/१

(यतीन्द्र मोहन)
मिशन निदेशक।